न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 7/2014 (225 आरटीए) उम्मेदराम वगै. बनाम विशनाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2014/00102)

1 उम्मेदाराम पुत्र श्री जोराराम,
2 मगाराम पुत्र श्री जोराराम,
3 छगनाराम पुत्र श्री जोराराम
सभी जातियान मेघवाल निवासीगण नयाबेरा खियासरिया तहसील शेरगढ़ हाल निवासी उंट की घाटी सुरसागर जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 विशनाराम पुत्र आदूराम,
2 मालाराम पुत्र श्री जुगताराम,
3 हरूराम पुत्र श्री जुगताराम,
4 धर्माराम पुत्र श्री जुगताराम के कायम मुकाम
4/1 श्रीमती टीकू पत्नी श्री धर्माराम
4/2 गिरधारी राम पुत्र श्री धर्माराम
5 हंजु बेना पत्नी श्री मोडाराम
सभी जाति मेघवाल निवासी खियासरिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
6 सरकार जरिए तहसीलदार जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान कैंप चोरड़िया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर दिनांक 19.05.1992 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.92 राजस्व कैप चोरड़िया

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदिसंह बांवरला।
2 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 4/1, 4/2, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 23.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान कैंप चोरड़िया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के राजस्व प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.92 राजस्व कैप चोरड़िया में पारित आदेश दिनांक 19.05.1992 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वक्त सेटलमेंट में खसरा नं. 465 रकबा 123 बीघा अपीलांट के पिता जोराराम पुत्र श्री आदूराम व धर्मा पुत्र मोडा भांभी के नाम से उक्त जमीन दर्ज हुई तथा इसी अनुसार आगामी जमाबंदी में उक्त अनुसार इन्द्राज निरंतर रूप से रहा। दिनांक 19.05.1992 को प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान कैंप चोरड़िाया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं. 465 रकबा 113 बीघा भूमि में रेस्पोडें संख्या 1 विशनाराम बड़ा भाई ेने से वक्त सेटलमेंट में एक भाई के नाम से पर्चा लगान जारी हो गया। आदुराम के तीन लड़के हैं जिनका नाम दर्ज नहीं हुआ तथा अंत में रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 ने यह अनुतोष चाहा कि अपीलांट के पिता जोराराम के बंट में रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 का नाम दर्ज किया जावे एवं हंजू का 1/2 हिस्सा यथावत रखा जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी एस.डी.ओ. के समक्ष पेश किया तथा वस्तुस्थिति की जांच कर तहसीलदार को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की गई एवं इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार शेरगढ़ ने अधिकारों की दुरस्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र आता है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दावे के रूप में प्रक्रिया अपना कर दर्ज करने का आदेश दिया जिस पर उसी दिन प्रभारी अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 88 व 89 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा दर्ज करने का आदेश दिया एवं उसी दिनं गवाह सजना एवं जोराराम के बयान लिए गए तथा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.1992 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदिसंह बांवरला ने अपील मीमो में

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त है। खसरा नं. 465 रकबा 113 बीघा वक्त सेटलमेंट में अपीलांट के पिता जोराराम के नाम से दर्ज हुआ था जोराराम के जीवनकाल में जोराराम का कब्जा काश्त रहा तथा जोराराम का देहांत होने पर अपीलांट कब्जा काश्त है रेस्पोडेंट का वादग्रस्त जमीन में कोई कब्जा काश्त हक अधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता को कोई नोटिस नहीं दिया न ही नियमानुसार वाद दर्ज किया गया न ही अपीलांट के पिता को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। संपूर्ण कार्यवाही आनन फानन में गैर कानूनी तरीके से अपीलांट की जमीन हड़पने की नियत से की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधि की प्रक्रिया नहीं अपनाई नही अधीनस्थ न्यायालय प्रभारी अधिकारी को धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा निस्तारण का अधिकार था इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की कोई डिक्री पर्चा जारी नहीं किया निर्णय के अनुसार डिक्री पर्चा के अभाव में उक्त निर्णय कोई विधिवत निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। लैण्ड होल्डर ने धारा 125 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र होना अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वविवके से दावा दर्ज कर बिना अपीलांट के पिता की सहमति से आदेश पारित कर दिया गया जो मात्र कल्पना के आधार पर किया गया है। अपीलांट के पिता न तो अभियान में पेश हुए न ही कोई हस्ताक्षर अंगुष्ठ किए सारी कार्यवाही फर्जी व बनावटी है इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेट सं. 4 धर्माराम का देहांत 09.01.1991 को हो चुका था उसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित कर दिया। अपीलांट के अधिवक्ता ने पुष्ठि में धर्माराम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी फार्म नं.–3 के साथ बहस के समय पेश किया। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय प्रभारी अधिकारी राजस्व कैंप चोरड़िया तहसील शेरगढ़ का आदेश दिनांक 19.05.1992 निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अपनी अपील में भी धर्मराज को रेस्पोडेंट बनाया है तथा अब वह कह रहे हैं कि धर्मराज की मृत्यु हो गई है तो इसका यह अर्थ है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय धर्मराज

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जीवित थे व उनका निधन बाद में हुआ है नहीं तो उनको रेस्पोडेंट बनाने की क्या आवश्यकता थी। अपीलांट ने जो धर्मराज का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है वह 25.08.2012 का है जो बाद में बनवाया गया है व सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी नहीं किया गया है अतः यह विश्वसनीय नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भाइयों के मध्य भूमि का बंटवारा सहमति से किया है जिसकी अपील लाई नहीं करती है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर भी है। अपीलाधीन आदेश 19.05.1992 का है जबकि पहली बार अपील 26.09.2012 को पेश की गई जिसमें लगभग 20 वर्ष की देरी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति से राजस्व न्यायालय कैंप में लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जिसको मियाद बाहर अपील के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 यह अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांट ने इस देरी को कंडोन करने के लिए धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। देरी से प्रस्तुत करने का कारण अपीलांट के पिता का देहांत होना बताया है। तथा यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पिता को कोई नोटिस नहीं दिया न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया। अपीलांट जब दिनांक 23.08.2012 को नकल लेने गया तब उसे मालूम हुआ कि अपीलांट के पिता के नाम की खातेदारी में रेस्पोडेंट का नाम भी दर्ज कर दिया गया है। जबकि रेस्पो. के अधिवक्ता ने कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सहमति से होने के कारण पारित किया है। उस समय सभी काश्तकार सहमत थे तथा यह तथ्य सभी की जानकारी में था। अपीलांट ने बनावटी तथ्यों के आधार पर धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील मियाद बाहर होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

इस प्रकरण में अपील काफी बिलंब से 20 वर्ष बाद पेश हुई है तथा अपीलाधीन आदेश सहमति से पारित हुआ है अतः अपीलांट के धारा–5 में वर्णित तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तथा अपील मियाद बाहर मानी

2318
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाती है।

9 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्या समाधान शिविर चोरड़िया में वादी विशनाराम, पुत्र आदूराम, मालाराम, हरूराम, धर्माराम पि. जुगताराम की ओर से वाद/प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा प्रतिवादी जोराराम पुत्र आदुराम व हंजू बेवा मोडाराम को बनाया गया है तथा शिविर में वह भी उपस्थित थे तथा सहमति के उनके हस्ताक्षर भी हैं। भूमिधारी तहसीलदार ने वाद को स्वीकार करने की अनुशंषा जांच के आधार पर की थी तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) ने शिविर में ही दो गवाह सजना बेवा दयाराम तथा जोराराम पुत्र आदूराम के बयान दर्ज किए व उपस्थित सभी पक्षकारान की सहमति से प्रार्थना पत्र को धारा 88, 89 के तहत वाद के रूप में दर्ज कर वाद को डिक्री किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से सहमति से डिक्री जारी की गई है। इस प्रकार सहमति से जारी किए गए आदेश या निर्णय व डिक्री की अपील धारा 225 के तहत इस न्यायालय में पेश नहीं की जा सकती। अतः अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान कैंप चोरड़िया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.1992 यथावत रखा जाता है।

23/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर